समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

संख्या– 73/2016-17 (रेलवे) ..655.. / भूअ0 गोड्डा दिनांक :– ..25/6/18

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा– **सापिनमोर सीट नं0–1, थाना नं0– 158, अंचल– पथरगामा**, जिला– गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **गोड्डा से पीरपैंती नई बी॰जी॰ रेलवे लाईन निर्माण** हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई ए॰एम॰सी॰एस॰ प्राइवेट लिमिटेड, राँची सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम– **सापिनमोर सीट नं0–1, थाना नं0– 158, अंचल– पथरगामा**, जिला– गोड्डा, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **3.395** एकड़ यानि ..... हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	3	निजी	धानी II	0.841	0.841	जमावन्दी रैयत मु0 कशतु रावती, जोजे– हंसराज कुमर के वर्त्तमान हितबद्ध व्यक्ति का पता नही।	2	4	3 अंश	3 अंश
2	4	2	निजी	धानी II	0.929	0.093	रंजित कुमर, पिता– काली प्र0 कुमर	पनजोरहर	3	2 अंश	2 अंश
3						0.093	डोमन कुमर, पिता– काली प्र0 कुमर				
4						0.093	श्रवण कुमर, पिता– काली प्र0 कुमर				
5						0.093	बाल मुकुन्द कुमर, पिता– काली प्र0 कुमर				
6						0.093	ओम प्रकाश कुमर, पिता– काली प्र0 कुमर				
7						0.464	अरूण कुमर, पिता– तारणी कुमर				
8	4	4	निजी	धानी II	0.601	0.100	बोगली देवी, पति– मनेजर कुमर	3	5, 5	4 अंश	5
9						0.100	अनोज कुमर, पिता– मुखलाल कुमर				
10						0.200	राबड़ी देवी, पति– स्व0 शम्भू दर्वे				

25/6/18

11						0.201	झगरू कुमर, पिता– चूड़न कुमर				
12						0.1215	रोहिन कुमर, पिता– स्व0 परमेश्वर कुमर				
13						0.0607	दीपनारायण राय, पिता– कपिलदेव राय				
14	4	14	निजी	धानी II	0.243	0.0203	गुलाब राय, पिता– स्व0 कालीचरण राय	जानकीकित्ता	14 अंश	14 अंश	2
15						0.0203	सोनु राय, पिता– स्व0 कालीचरण राय				
16						0.0202	कटकी राय, पिता– स्व0 कालीचरण राय				
17	7	5	सरकारी	गैरमजरूआ (रास्ता)	0.781	0.781	अर्जन से बर्हिगत	4, 3	बीरसैनी	6	5 अंश
				कुल :–	3.395	3.395	एकड़				

यह अधिसूचना भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा– 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु श्री राहुल जी आनंद जी, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/श्री पवन कुमार, अतिरिक्त जिला भू–अर्जन पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा/अंचल अधिकारी, पथरगामा और उनके कर्मचारी– श्री विनय कुमार ठाकुर, कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा– 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा– 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिर्की, अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/श्री राहुल जी आनंद जी, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/श्री पवन कुमार, अतिरिक्त जिला भू–अर्जन पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

25/6/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक ......655....../भू0अ0 दिनांक :- ....25/6/18....।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

25/6/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक ...655...../भू0अ0 दिनांक :- 25/6/18

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा/अंचल अधिकारी, पथरगामा/अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, पथरगामा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

25/6/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक :...655..../भूअ0 दिनांक :...25/6/18

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/18

उपायुक्त,
गोड्डा।